छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन, नवा रायपुर के केंटीन संचालन हेतु द्वितीय निविदा

निविदा क्रमांक–3488 **नवा रायपुर, दिनांक 22/03/2022**

//निर्धारित तिथि//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 590/–जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 2:00 बजे दोपहर तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 4:00 बजे सायं

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
फोन नं. 0771–2512536
Web :- http://samvad.cg.nic.in/ Email :- cgsamvadadvt@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

फोन– 0771–2512536

निविदा क्रमांक 3488/छगसं./स्थापना/2022 **नवा रायपुर, दिनांक 22/03/2022**

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन नवा रायपुर में केंटीन संचालन हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन, नवा रायपुर में केन्टीन के संचालन हेतु होटल, खान–पान व्यवसाय केटरिंग सेवा के अनुभवी एवं योग्य फर्मो/एजेंसी से निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरे हुए समस्त वांछित दस्तावेजों सहित मुहरबंद द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 590/–जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 2:00 बजे दोपहर तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11/04/2022 समय 4:00 बजे सायं

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह् 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in/** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन, नवा रायपुर में केंटीन संचालन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था है। जो कि फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन में प्रकाशन, मुद्रण, विज्ञापन एवं अन्य कार्य हेतु राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधि एवं विशिष्ट आगन्तुकों का आना होता है। छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारी/कर्मचारियों एवं अन्य आगन्तुकों के जलपान तथा भोजन व्यवस्था हेतु नवा रायपुर सेक्टर–19 में छत्तीसगढ़ संवाद भवन में निम्नानुसार निर्धारित दरों तथा मात्रा पर खाद्य सामग्री प्रदाय करने के लिए केंटीन संचालन हेतु अनुबंध पर आबंटन के लिए निर्धारित न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव रखने वाले केंटीन संचालक फर्म/एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में, इस निविदा सूचना में दी गयी शर्तों के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है।

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों की सूची निम्नानुसार है :–

स.क्र.	खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ का नाम	न्यूनतम मात्रा	अधिकतम दर
1	कॉफी (फिल्टर)	120 एम.एल.	15.00
2	नेस कॉफी	100 एम.एल.	20.00
3	हॉट काफी	100 एम.एल.	15.00
4	चाय स्पेशल	120 एम.एल.	15.00
5	चाय	60 एम.एल	10.00
6	डिप चाय	100 एम.एल.	15.00
7	ग्रीन टी	100 एम.एल.	15.00
8	पोहा	100 ग्राम	20.00
9	सादा डोसा चटनी, सांभर के साथ	140 ग्राम	50.00
10	मसाला डोसा चटनी, सांभर के साथ	160 ग्राम	60.00
11	उत्पम चटनी, सांभर के साथ	135 ग्राम	55.00
12	इडली–2 पीस, चटनी, सांभर के साथ	120 ग्राम	25.00
13	दही बड़ा–2 पीस,	एक प्लेट	40.00
14	सांभर बड़ा–2 पीस चटनी, सांभर के साथ	एक प्लेट	30.00
15	जलेबी	एक प्लेट	20.00
16	समोसा, चटनी के साथ	2 पीस	20.00
17	दही समोसा, दही बड़ा	2 पीस	30.00
18	कचौड़ी चटनी के साथ	2 पीस	30.00
19	वेजीटेबल कटलेट–एक पीस	70 ग्राम	25.00
20	वेजीटेबल सेंडविच–चार पीस	–	40.00
21	ब्रेड पकोड़ा चटनी के साथ	40 ग्राम	20.00
22	भजिया चटनी के साथ	60 ग्राम	20.00
23	खाना थाली– रोटी 4 पीस–100 ग्राम, चावल–150 ग्राम, वेजकरी–100 ग्राम, दाल–100 ग्राम, ड्रायसब्जी–75 ग्राम, दही–100 ग्राम, अचार–05 ग्राम, पापड़–1		90.00

24	स्पेशल थाली– पराटा/पुड़ी 4 पीस, पुलाव/फ्राई चावल(बासमती)–150 ग्राम, दाल तड़का, पनीर सब्जी –75 ग्राम, ड्रायसब्जी–75 ग्राम, सलाद, रायता–100 ग्राम, अचार–05 ग्राम, पापड़–2, मिठाई–2पीस,	130.00
25	मूंग चीला प्लेन	40.00
26	साबुदाना बड़ा	40.00
27	मीठा भजिया (गुलगुला)	30.00
28	सोया चिल्ली	60.00
29	चना चिल्ली	70.00
30	गोभी चिल्ली	50.00
31	वेज कटलेट	45.00
32	सैण्डविच	55.00
33	अण्डा करी (2 अण्डा)	70.00
34	अण्डा आमलेट (2 अण्डा)	50.00
35	मसाला मैगी	35.00
36	लस्सी	30.00
37	छाछ	20.00
38	नींबूपानी (मीठा)	15.00
39	नींबूपानी (नमकीन)	15.00
40	नारियल पानी	40.00
41	कोल्ड्रिंग्स	AS PER MRP
42	पानी बॉटल	AS PER MRP

3. सफल निविदाकार केंटीन संचालक कंडिका 2 में वर्णित खाद्य तथा पेय पदार्थों के अलावा अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर बाजार भाव पर बिक्री कर सकेगा।
4. केंटीन संचालन **छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर** में की जाएगी। सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर केंटीन संचालन हेतु आवश्यक स्टॉफ सहित सभी सामग्री, Cutlery, Crockery, Equipment, Restaurant Furniture इत्यादि की व्यवस्था की जावेगी।
5. **न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभवः–** निविदाकार को निम्नलिखित वित्तीय क्षमता एवं अनुभव होना आवश्यक हैः–
   (1) निविदाकार को होटल, खान–पान व्यवसाय संचालन का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
   (2) निविदा दाता को पेन कार्ड की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
   (3) निविदा शुल्क एवं अमानत राशि– निविदाकार को टेक्निकल बीड के साथ **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से देय निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 590/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) की डीडी जमा करना होगा।
6. **आरक्षित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क**– आरक्षित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) है। निविदाएँ अधिकतम मासिक अनुज्ञप्ति फीस के लिए आमंत्रित की गई है। आरक्षित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क से कम राशि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिकतम अनुज्ञप्ति फीस उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

यदि दो या दो से अधिक फर्मों से प्राप्त दर सामान हो तो अनुभव के आधार पर अधिक अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. निविदा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय में वांछित समस्त दस्तावेजों सहित बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. **अनुज्ञप्ति अवधि** – सफल निविदा दाता से व्यवसाय संचालन के लिए प्रथमतः तीन वर्ष का अनुबंध किया जायेगा। यदि निविदा दाता द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करते हुए केंटीन का संचालन सफलता पूर्वक किया जाना पाया जाये तो अनुज्ञप्ति की अवधि वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ आगामी तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सेवाप्रदाता फर्म छत्तीसगढ़ संवाद से अनुमति प्राप्त कर अपनी सामग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं प्राधिकारी को संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा।
9. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित है।
10. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं का प्रचार–प्रसार संबंधित कार्य किया जाता है। कई कार्य तत्कालिक प्रवृत्ति के एवं अतिआवश्यक होते हैं, जिसके समय सीमा में कार्य संपादन हेतु कार्यालय स्टॉफ को देर रात तक या अवकाश दिवस में भी कार्य संपादित करना होता है। केंटीन संचालक को उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार केंटीन का संचालन करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर या निविदा पूर्णतः निरस्त किए जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद के वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in/ के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाएगी। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी, मात्र उक्त वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
12. **निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका** –

(1) निविदा दो – लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी –

i. **लिफाफा–ए** : इस लिफाफे में निविदाकार के पंजीयन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, केंटीन/होटल खान–पान व्यवसाय संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफा बंद कर उसके ऊपर निविदा का नाम छत्तीसगढ़ संवाद भवन में केंटीन संचालन हेतु निविदा – लिफाफा–ए''तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवश्यक होगा।

ii. **लिफाफा–बी** : इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में भरी जावे। यदि कोई कांट–छांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति–हस्ताक्षर किये जाये। अंकों एवं शब्दों या कांट–छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

iii. उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् लिफाफा–ए तथा लिफाफा–बी एक बड़े लिफाफे में बंद कर नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखकर, निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में जमा किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. अनुज्ञप्ति के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का पजेसन "जहां है जैसी है" के आधार पर सेवाप्रदाता समुह को दिया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जायेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।
3. अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान, संग्रह, विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
4. अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता केंटीन संचालक का होगा।
5. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नहीं हो, तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नहीं किया जाता तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
7. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा भवन और परिसर में स्थापित प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिविल कंस्ट्रक्शन आदि को नुकसान नहीं पहुचाँया जायेगा। अनुबंध अवधि की समाप्ति के उपरांत सभी सम्पत्ति को पूर्व स्तर पर सुधार कर और भवन की पेंटिग, कलर वॉशिंग कराकर वापस मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को सौपना होगा।
9. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
10. यदि अनुबंध की शर्तो का उल्लंधन किया जाता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को अनुबंध को निरस्त करने तथा संपत्ति पर पुर्नप्रवेश करने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को भुगतान की गई राशि राजसात करने की शक्ति होगी।
    परंतु अनुबंध निरस्त किये जाने एवं संपत्ति में पुर्नप्रवेश किये जाने के पूर्व सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को सूचना दी जावेगी, और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।
11. अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में, यदि उन उल्लंघनों को आबंटिती द्वारा निरस्तीकरण की सूचना के 90 दिनों के भीतर सुधारे जाने हेतु वचन दिया जाता है और नोटरी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाता है जिसमें उल्लंघनों को सुधार कर इस निमित्त अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क के भुगतान किये जाने का वचन देता है और उसका पालन करता है तो अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जा सकेगा।
12. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सेवाप्रदाता केंटीन संचालक अपनी सामग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
13. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नहीं करेगा।

(1) जहाॅ यथास्थिति सेवाप्रदाता केंटीन संचालक प्रीमियम के किसी भाग का अथवा किराये का अथवा शुल्क या सेवा अधिभार अथवा किसी अन्य अधिभार का भुगतान नहीं करता है, तथा राशि बकाया के रूप में शेष रहती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को अधिकार होगा कि विलंब की अवधि के लिए दंड प्रभार वसूल कर सके तथा ऐसी बकाया राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में वसूल कर सके। परंतु यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक रहती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को अधिकार होगा कि यथास्थिति अनुबंध को निरस्त कर संपत्ति में पुर्नप्रवेश कर ले।

(2) यदि सेवाप्रदाता केंटीन संचालक करार के शर्तों के तहत् देय राशि अथवा उसके किसी भाग की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को अधिकार होगा कि अनुबंध समाप्त करते हुए जमा राशि राजसात कर लेवें। इस संबंध में छत्तीसगढ़ संवाद को हुए किसी हानि की राशि भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

(3) यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अवधारित करने का पर्याप्त कारण हो कि जिस प्रयोजन के लिए सेवाप्रदाता को दी गई है उस प्रयोजन हेतु संपत्ति का उपयोग करने में असमर्थ है, तो अनुबंध हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

14. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसी शर्तो और दर के भुगतान पर प्रदान की जावेगी जैसा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावें।

परंतु सेवाप्रदाता केंटीन संचालक अपने स्वयं के व्यावसायिक उपयोग हेतु साइन बोर्ड या नियोन साइन जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विहित किये गये आकार का हो, लगाने अथवा प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञा लेना अपेक्षित नहीं होगा।

15. संपत्ति पर, कतिपय ऐसे व्यवसाय का संचालन जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद समय–समय पर अधिसूचित करें, किये जाने हेतु यथास्थिति मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विनिश्चित किया जावे, ऐसी दर पर ट्रेड अनुबंध शुल्क निक्षेप कर अनुबंध प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा व्यवसाय की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार अनुबंध प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी अथवा ऐसी शर्तो पर अनुबंध जारी की जायेगी जो समय समय पर विनिश्चय की जा सके।

16. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को अधिकार होगा कि अनुबंध निरस्त कर देवें तथा संपत्ति को प्रतिग्रहित कर ले। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को भुगतान की गई राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

17. अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा

18. कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गई अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह सेवाप्रदाता को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गई है तथा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गई है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गई मानी जायेगी।

19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद एवं सेवाप्रदाता, दोनों के स्वामित्व वाले सभी उपकरणों की सुरक्षा, रखरखाव एवं मेन्टेनेन्स इत्यादि की जिम्मेदारी संबंधित सेवाप्रदाता केंटीन संचालक की होगी। अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व धर्मावसान पर सेवाप्रदाता प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की सम्पत्ति का कब्जा चालू हालत में वापस सौंपेगा।

20. केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार शासकीय बैठकों में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा।

21. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केंटीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है –

I. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

II. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

III. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

IV. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक हैं।

V. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

VI. स्टाफ का प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहकों से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

VII. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

VIII. किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

IX. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवाप्रदाता केंटीन संचालक की होगी। सेवादाता केंटीन संचालक को न्यूनतम मजदूरी, लेबर एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ईएसआईसी आदि संबंधित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

22. खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जाँच समय–समय पर महाप्रबंधक/अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जा सकेगी। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर केन्टीन संचालक के विरूद्ध उचित कार्यवाही का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

23. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को बिल में जीएसटी नंबर उल्लेख करना आवश्यक होगा।

24. सफल सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को केंटीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Act के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

25. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक के कर्मचारी/कान्ट्रेक्टर इत्यादि किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ संवाद के साथ Contractual Relation में नहीं होंगे।

26. सम्पूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को उसके कर्मचारियों एवं मटेरियल के लिए **“Comprehensive general liability insurance”** bear करना होगा।

27. यदि यह पाया जाता है कि सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा केंटीन में निम्न गुणवत्ता के खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय किया जा रहा है या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में विक्रय किया जा रहा है या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा स्वीकृत खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है तो सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को चेतावनी देते हुए दण्डित किया जा सकेगा।

28. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक को खाद्य एवं पेय पदार्थों की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचनापटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

29. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित एवं परिशिष्ट–I में वर्णित खाद्य एवं पेय पदार्थों के अलावा अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।

30. केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

31. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

32. कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केंटीन के स्मूथ संचालन हेतु सफल निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

33. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

34. स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ (Garbage) का एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवाप्रदाता केंटीन संचालक की होगी।

35. केंटीन में अतिथियों एवं ग्राहकों से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

36. केंटीन की नियमित साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केंटीन प्रिमाइसेस (Canteen premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवष्यक है।

37. सेवाप्रदाता केंटीन संचालक बिना किसी संषय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता केंटीन संचालक की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगर पालिक संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पॉलिसी, निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी सेवाप्रदाता केंटीन संचालक की होगी।

38. सेवा में लापरवाही बरतने पर पेनाल्टी –

किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिये सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

39. यदि केन्टीन ऑपरेटर सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो छत्तीसगढ़ संवाद को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन ऑपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा सम्पादित कराये।

40. निम्नांकित कार्य सम्पादित नहीं किये जाने पर जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा जो मासिक फेसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस चार्ज के साथ जोड़ा जायेगा।

(I) शासकीय कार्य दिवस में केन्टीन बन्द पाये जाने पर–

शासकीय कार्य दिवस के दिन या उसके अंश पर केन्टीन बंद पाये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देय होगा।

(II) शिकायत पुस्तिका के साथ मैनेजर उपलब्ध नहीं होने पर–

केन्टीन आपरेटर अपने पास एक शिकायत पुस्तिका रखेगा, जिसमें विधिवत नम्बरिंग होगा तथा प्रत्येक पेज पर छत्तीसगढ़ संवाद का गोल सील लगाना होगा। सेवा से संबंधित ग्राहको का उक्त पुस्तिका में शिकायत एवं सुझाव दर्ज किया जायेगा। केंटीन में शिकायत पुस्तिका के साथ केन्टीन मैनेजर भी उपस्थित रहेगा। ग्राहक द्वारा दर्ज कराये गये शिकायत का निराकरण दो दिवस तक नहीं होने पर केन्टीन आपरेटर को अर्थदण्ड देना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद, समय–समय पर शिकायत पुस्तिका का निरीक्षण कर सकते है और शिकायत के निराकरण के लिए केन्टीन आपरेटर को निर्देश जारी कर सकते है।

केन्टीन आपरेटर प्रतिमाह ग्राहक से संबंधित शिकायत पुस्तिका के पेज के फोटोकापी के साथ मासिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(III) गुणवत्ता बनाये रखने एवं नियंत्रण के उपाय—

केन्टीन आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराये गये सेवाओं की देख—रेख एवं जाँच के लिये छत्तीसगढ़ संवाद स्वतंत्र है। यदि यह पाया जाता है कि केन्टीन आपरेटर द्वारा अनुबंध के अनुसार पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और यदि उसके द्वारा प्रदत्त सेवा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, और किसी प्रकार की छूट तब तक नहीं दी जायेगी जब तक इस प्रकार के उपचार छत्तीसगढ़ संवाद के लिये संतोषजनक ना हो। उक्त खामियों को दूर किये जाने का प्रतिवेदन केन्टीन आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा।

(IV) श्रमशक्ति का प्रदर्शन—यदि छत्तीसगढ़ संवाद को केन्टीन आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक स्वीकार न हो तो केन्टीन आपरेटर तत्काल उस व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा तैनात करेगा।

(V) स्वच्छता की मापदण्ड—केन्टीन आपरेटर, केंटीन को स्वच्छ एवं साफ रखेगा। उपयोग किये गये कप, प्लेट, रेपर, प्लास्टिक एवं अन्य सामाग्री आदि हटाकर केंटीन साफ रखेगा। यदि यह पाया जाता है कि केंटीन साफ सुथरा नहीं है तो अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

स्वच्छता का मापदण्ड उच्च स्तर का होना चाहिए। यथा—तत्काल सेवा प्रदान करना, दिन—प्रतिदिन बचत खराब सामाग्री को हटाना है। इस कार्य में असफल होने पर प्रत्येक इस प्रकार की घटना के लिये दण्डनीय होगा। छत्तीसगढ़ संवाद को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक निर्मित सामाग्री या निर्माण हेतु रखे गये सामाग्री का कभी भी सैम्पल ले सकता है और उसका परीक्षण करा सकता है। किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ—साथ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकता है।

(VI) केन्टीन स्टॉफ के लिये प्रतिबंधित गतिविधी— धुम्रपान, गुटखा, नशा करना तथा ग्राहकों या संवाद के प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करना यूनिफार्म में नहीं आना, पहचान—पत्र नहीं होना, इन गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

(VII) शिकायत पुस्तिका के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करना—शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायत या सुझाव पर किये गये कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन, केंटीन आपरेटर प्रस्तुत किया जायेगा। गम्भीर शिकायतों को गम्भीरता से लिया जायेगा और अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

(VIII) उपरोक्त सभी कंडिका के संबंध में अर्थदण्ड अधिरोपित करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

41. उक्त निविदा में स्थानीय केंटीन संचालक को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

42. आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):— **किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।**

43. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर रहेगा।

44. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा की निविदाकार को निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

———000———

निविदा भावपत्र
(वित्तीय दर)

छत्तीसगढ़ संवाद भवन के केंटीन संचालन हेतु एकमुश्त मासिक दर

मैं .... आत्मज .... आयु........... पता...

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ संवाद भवन के केन्टीन संचालन के लिए आमंत्रित निविदा सूचना के तहत अपनी निविदा (वित्तीय दर) निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।

सेक्टर–19 ग्राम कयाबांधा छत्तीसगढ़ संवाद के केन्टीन संचालन (आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)	**प्रस्तुत निविदा**	
	मासिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में)	**मासिक लाइसेंस शुल्क (शब्दों में)**

1. मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा निविदा **श**र्त में निर्धारित अमानत राशि लिफाफा–ए में जमा कर दी गई है।
2. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राशि जमा करूंगा तथा अनुबंध का निष्पादन कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंवे।

निविदाकार का हस्ताक्षरः–...................
नामः–..
पताः–..
...
मो. नं. ....
दिनांकः– ....